राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रप.10(61)नविवि/3/2006पार्ट जयपुर दिनांक 26 MAR 2014

परिपत्र

पर्यटन इकाई नीति, 2007 की कार्यशील अवधि दिनांक 30.09.2014 तक बढ़ाये जाने के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 18.03.2014 को विभाग द्वारा दी गई छूट की अवधि 30.09.2014 बढ़ाये जाने हेतु जारी किया गया था। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य आवेदकों द्वारा उक्त परिपत्र के क्रम में कुछ बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी पर्यटन इकाई नीति, 2007 तथा इसके अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन्स के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उक्त परिपत्र के क्रम में निम्नानुसार प्रावधान स्पष्ट किये जाते है :—

1. पर्यटन इकाई नीति, 2007 की कार्यशील अवधि दिनांक 30.09.2014 तक बढ़ाये जाने के फलस्वरूप विभागीय परिपत्र दिनांक 24.12.2007 में उल्लेखित छूट पर्यटन इकाई स्थापित किये जाने हेतु आवेदित ऐसे समस्त प्रकरणों पर लागू होगी, जिनमें प्रस्तावित भूमि के रूपान्तरण की दिनांक से प्रस्तावित प्रोजेक्ट का कियान्वयन 2 वर्ष की अवधि में प्रारम्भ कर लिया जावें। ऐसा नहीं किये जाने पर पर्यटन इकाई परियोजना की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
2. पट्टा विलेख जारी करते समय पर्यटन इकाई हेतु प्रस्तावित निर्माण, भूमि रूपान्तरण की दिनांक से दो वर्ष की अवधि में प्रारम्भ किये जाने की शर्त अंकित की जावें। स्पष्ट किया जाता है कि पर्यटन इकाई नीति, 2007 के अनुसार स्थापना से तात्पर्य निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में प्रारम्भ करने से है।
3. पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन इकाई नीति, 2007 की कार्यशील अवधि पूर्व में अनुमोदित पर्यटन इकाईयों जिनमें आवंटन/पट्टा विलेख जारी किया जा चुका है, को स्थापित करने की अवधि बढ़ाने के लिए नहीं है। उक्त आदेश पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु रूपान्तरण/अनुमोदन के लिए आवेदन किये जाने के लिए है।

(डी.बी. गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. उप सचिव (ए.एस), माननीया मुख्यमंत्री महोदया, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को अपने स्तर से समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करें।
12. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
14. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
15. रक्षित पत्रावली।

26/3/14

(जगजीत सिंह मोगा)
उप शासन सचिव–द्वितीय